तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा. पत्र बाजदायरी संख्या 167/2022 नारायणी बनाम श्रवणी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री जयदीप सिंह राठौड एड. उप.। वकील अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाज दायरी पर सुना गया। वकील अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थिया के पूर्व अधिवक्ता महोदया द्वारा प्रार्थिया को आश्वस्त किया गया था कि जब कभी भी न्यायालय में प्रार्थिया की उपस्थिति की आवश्यकता होगी वह प्रार्थिया को सूचित कर देंगे किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थिया को उसके अधिवक्ता महोदया द्वारा कभी भी किसी प्रकार की सूचना न्यायालय में प्रार्थिया की उपस्थिति बाबत नही दी। प्रार्थिया करीब 96 वर्षीय वृद्ध अनपढ महिला है जिसे फोन/मोबाइल तक का इस्तेमाल करना नहीं आता है जिस कारण वही भी अपनी वृद्धावस्था के कारण व्यक्तिगत रूप से अपने अधिवक्ता से नहीं मिल पाई और जब कभी भी प्रार्थिया ने किसी से फोन करवा कर अपने प्रकरण की जानकारी चाही तो पूर्व अधिवक्ता अधिवक्ता महोदय ने यही आवश्वासन की आवश्यकता होगी वह प्रार्थिया को सूचित कर देंगे। अभी हाल ही मे प्रार्थिया ने अपने किसी परिचित के माध्यम से अपने प्रकरण की जानकारी करवाई तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थिया की अपील दिनांक 8.8.2016 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई है। प्रार्थिया के वकील का भी आकस्मिक निधन हो जाने के कारण प्रार्थिया की अपील खारिज कर दी गयी। प्रार्थिया को अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी मिलते ही प्रार्थिया ने जरिये वकील आदेशिका/आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 3.11.2022 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 4.11.2022 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात प्रार्थिया वृद्धावस्था जनित कारणों से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी और आज दिनांक को प्रार्थिया स्वंय माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। ऐसी परिस्थिति में अपील को पुनः रेस्टोर कर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन 300/रू. की कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील अपीलांट 300/– रू. की कोष्ट राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner